न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर०ए०एस

प्र०न० — 73/2025

उनवान : —

1. हकीमखान पुत्र कुरड़ा खां जाति तेली मुसलमान निवासी नेठराना तहसील भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. गफारदीन पुत्र रमजान जाति तेली मुसलमान निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. जमीलदीन पुत्र रमजान जाति तेली मुसलमान निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. असगर पुत्र कुरड़ा खां जाति तेली मुसलमान निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. बली मोहम्मद पुत्र कुरड़ा खां जाति तेली मुसलमान निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठाराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक परिवर्तित राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए
आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2)
राज0 कॉल0 एक्ट

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण प्रार्थी
श्री श्रवण सहारण ॥ अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 26.12.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम चक 6 एन०टी०आर० के खाता संख्या 234/29 के मु० न0 3 के किला नं. 12/2, 13/2, 18, 19, 22, 23, मु० नं0 14 के किला नं. 3/2, 8 की कुल 1.885 है। नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। एवं अप्रार्थी सं. 1 गफारदीन के नाम चक 6 एन०टी०आर० के खाता संख्या 29/19 के मु० नं0 3 के किला नं0 1/1, 1/2, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12/1, 13/1, मु० नं0 14 के किला नं. 3/1; 4/1 की कुल 1.923 है। नहरी मय रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 जमीलदीन के नाम चक 6 एन०टी०आर० के खाता संख्या 233/29 के मु० नं0 3 के किला नं0 14 ता 17, 24, 25, मु० नं.0 14 के किला [illegible] की कुल 2.011 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

यंह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस [illegible] परिवार के सदस्य है व जमीलदीन, गफारदीन व कुरडा खां तीनो भाई थे, कुरडा खां की मृत्यू होने के बाद वाद भूमि का उनके पुत्रों के नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज हो गया। काफी [illegible] पूर्व तीनो भाईयो ने अपनी अपनी कृषि भूमि का खाता अलग अलग कायम करवा लिया था व अपने खेत के अन्तिम छोर तक आने जाने के लिए गफारदीन के हिस्सा मे आई चक 6 एन०टी०आर० के मु० नं० 3 के किला नं0 1, 2, 3, 8 व 13 मे तथा जमीलदीन के हिस्सा मे आई कृषि भूमि चक 6 एन०टी०आर० के मु० नं० 3 के किला नं. 14, 17, 24 व कुरड़ा खां के हिस्सा मे आई कृषि भूमि चक 6 एन०टी०आर० के मु० नं० 3 के किला नं0 13, 18, 23 में से आवागमन हेतु रास्ता रख लिया, लेकिन सहबन से खाता विभाजन करवाते समय

रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही करवा सके, जिस कारण हम सभी पक्षकारान को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता ।, लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश करने का यही मूल कारण है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने राजीनामा पेश किया गया तथा शेष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए चक नं० 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 29/19 के मु० नं० 3 के किला नं0 1/1 में 0.013 है०, किला नं0 2 मे 0.013 है०, किला नं0 3 मे 0.013 है० दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 1—1 बिस्वा चौड़ा रास्ता तीन किला लम्बाई में कुल 0.039 है०, किला नं० 8 में 0.013 है० पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एक किला लम्बाई मे 1 बिश्वा चौड़ा रास्ता, किला नं0 13/1 में 0.001 है० पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण रास्ता एवं चक 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 233/29 के मु० नं0 3 के किला नं0 14, 17 व 24 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बाई मे 0.006 है०. प्रत्येक किला मे तीन किला लम्बाई में कुल 0.018 है० रास्ता तथा चक 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 234/29 के मु० नं0 3 के किला नं0 13/2, 18, 23 मे पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बाई मे 0.007 है० प्रत्येक किला मे तीन किला लम्बाई में कुल 0.021 है० रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जावें। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने जवाब प्रस्तुत कर उक्त रास्ता राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कराने हेतु सहमती राजीनामा पेश किया एवं निवेदन किया कि उक्त रास्ता स्वीकत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुंत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सहमति जवाब में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए चक नं० 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 29/19 के मु० नं० 3 के किला नं0 1/1 में 0.013 है०, किला नं0 2 मे 0.013 है०, किला नं0 3 मे 0.013 है० दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 1—1 विस्वा चौड़ा रास्ता तीन किला लम्वाई में कुल 0.039 है०, किला नं० 8 में 0.013 है० पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एक किला लम्वाई मे 1 बिश्वा चौड़ा रास्ता, किला नं0 13/1 में 0.001 है० पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण रास्ता एवं चक 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 233/29 के मु० नं0 3 के किला नं0 14, 17 व 24 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बाई मे 0.006 है०. प्रत्येक किला मे तीन किला लम्बाई में कुल 0.018 है० रास्ता तथा चक 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 234/29 के मु० नं0 3 के किला नं0 13/2, 18, 23 मे पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण लम्वाई मे 0.007 है० प्रत्येक किला मे तीन किला लम्बाई में कुल 0.021 है० रास्ता सदामत से आवागमन करता आ रहा है जिसे स्वीकृत करवाना चाहता है उक्त को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने राजीनामा पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन तथा नियमित उपयोग—उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित [illegible] स्वीकार होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 के [illegible] उपरोक्त विवेचानुसार मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक नं० 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 29/19 के मु० नं० 3 के किला नं0 1/1 में 0.013 है०, किला नं0 2 मे 0.013 है०, किला नं0 3 मे 0.013 है० दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 1—1 बिस्वा चौड़ा रास्ता तीन किला लम्बाई में कुल 0.039 है०, किला नं० 8 में 0.013 है० पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एक किला लम्बाई मे 1 बिश्वा चौड़ा रास्ता, किला नं0 13/1 में 0.001 है० पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण रास्ता एवं चक 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 233/29 के मु० नं0 3 के किला नं0 14,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,

24 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बाई मे 0.006 है० प्रत्येक किला मे तीन लम्बाई में कुल 0.018 है० रास्ता तथा चक 6 एन0टी0आर0 के खाता संख्या 29 के मु० नं0 3 के किला नं0 13/2, 18, 23 मे पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बाई 07 है० प्रत्येक किला मे तीन किला लम्बाई में कुल 0.021 है० गै०मु० रास्ता राजस्व में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार भादरा को त किया जाता है कि उक्तानुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय या गया।

(भागीरथ राम)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested